

कार्यालय आयकर आयुक्त-1,

"आयकर भवन" एनेक्सी, व्हाइट चर्च के सामने, इन्दौर.

क्र. आआ-1/इ./न्या/80-जी/2005-06

दिनांक : 23.03.2006

प्रति,

महामाया मा जेला देवी पारमार्थिक ट्रस्ट,
जेला देवी मंदिर, मयूर हास्पिटल के पास रिंग रोड, इन्दौर

महोदय,

विषय :- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी [5][vi] के अधीन मान्यता।

संदर्भ :- आपकी दिनांक 08.08.2005 की याचिका।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के अधीन एतद् द्वारा आपको मान्यता प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के अंतर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिये गये दान, दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होंगे।

यह मान्यता प्रमाण-पत्र 01.04.2005 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए

वैध है, जो कि इस कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में क्रमांक 31/6/05-06 पर नोट किया गया है।



(Signature)

(एस.एस.राणा)

आयकर आयुक्त-1, इन्दौर.

1. दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण-पत्र किस अवधि के लिए वैध है।

2. इस मान्यता प्रमाण-पत्र से ट्रस्ट/संस्था/फण्ड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वयं अधिकार नहीं प्राप्त हो जायेगा। कर निर्धारिता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के अभिप्राय के अंतर्गत पूर्त(चेरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12ए(बी) और 13 में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी अलग से इसकी जाँच करेगा।

3. इस मान्यता के नवीनीकरण के लिए निर्धारित फार्म 10-जी में इस कार्यालय को आवेदन किया जाना चाहिए।

प्रतिलिपि :-

1. आवेदक उपरोक्तानुसार।
2. कर निर्धारण अधिकारी / आ०उपा०।(१) इन्दौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड के निर्देश क्रमांक 464/38एफ क्र.80/2/69 आई.टी.ए.17 दिनांक 9/10/97 के अनुसार जब आवेदक अपनी सालाना विवरणी दाखिल करें तब आय एवं खर्चों की सूक्ष्म जाँच की जावे।
3. श्रीमान मुख्य आयकर आयुक्त, इन्दौर.
4. आयकर अपर आयुक्त, परिक्षेत्र-1/2/8, इन्दौर।
5. गाड फाइल हेतु।

(Signature)
[एस.एम.श्रीवास्तव]

सहा.आयकर आयुक्त [न्या] मुख्या।

Attested.

(Signature)
(दिलीप रावल)

आयकर उपायुक्त मुख्या.प्रशा.,